(3)

(4)

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
ई–5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र. भोपाल

क्रमांक /विधि/नग्रानि/एम–87 भोपाल, दिनांक

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक 4821/टी.एंड.सी.पी./लीगल/एम–87, भोपाल दिनांक 23/9/04 के परिशिष्ट –एक के अनुक्रमांक–6 में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 (1) (ए) (बी) की शक्तियों का प्रत्यायोजन अधीनस्थ अधिकारियो को किया गया था। इस आदेश को संशोधित करते हुये संचालनालय के ही आदेश क्रमांक 4576/विधि/नग्रानि/ एम–87 दिनांक 22.9.2010 द्वारा संयुक्त संचालकों को प्रत्यायोजित शक्तियां वापस ले ली गई थी।

इस आदेश के सुचारु कियान्वयन के संबंध में सभी जिला कार्यालयों को संचालनालय के पत्र क्रमांक 4923/पी.ए./नग्रानि/2010 दिनांक 11.10.2010 तथा पत्र क्रमांक 248/विधि/नग्रानि/ दिनांक 18.3.2011 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। संचालनालय के उपरोक्त आदेश क्रमांक 4576 दिनांक 22.9.2010 तथा उससे संबंधित पत्र क्रमांक 4923 दिनांक 11.10.2010 तथा पत्र क्रमांक 248 को अतिक्रमित करते हुए, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 (1) (ए) एवं (बी) की शक्ति अब केवल संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर से वापस ली जाती है शेष जिला कार्यालय प्रमुखों को यह शक्तियां पूर्ववत् प्रत्यायोजित की जाती है।

उपरोक्त शक्तियों को वापस लेने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बड़े शहरों में भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र में वर्तमान भूमि उपयोग उपदर्शित हो जाने के पश्चात्, उपदर्शित वर्तमान भूमि उपयोग से भिन्न भूमि विकास की कार्यवाही को नियंत्रित करना है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चारो जिला कार्यालय (भोपाल/इन्दौर/जबलपुर एवं ग्वालियर) में अधिनियम की धारा 16 अन्तर्गत आवेदन ग्रहण किये जावेंगे, उन्हें आवेदकों को वापस नही किया जावेगा। इन आवेदनों का समग्र रुप से परीक्षण जिला कार्यालयों द्वारा किया जाकर प्रकरण की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में प्रकरण अपने स्पष्ट अभिमत के साथ संचालनालय को भेजा जावेगा ताकि संचालनालय द्वारा भूमि उपयोग की उपयुक्तता का परीक्षण कर, प्रकरण के निराकरण के संबंध में समुचित दिशा–निर्देश दिये जा सके।

P. T. O.

(5)

धारा 16 अन्तर्गत प्राप्त आवेदन के परीक्षण के संबंध में कृपया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका कमांक 13753/2006 में पारित आदेश दिनांक 23.3.2007 के आदेश के सबंधित उद्धरण का अवलोकन हो:–

" The Director and his subordinates who are entrusted with the work of town planning will be aware of the contents and details of the development plan under preparation and the proposed land use in the development plan under preparation. accordingly, whenever permission is sought from the director or his subordinates for change of the use of any land or for development of land for any purpose other than as indicated in the existing land use map, the director or his subordinate has to refuse such permission where such change in the use of any land or develpment of land would be inconsistent with the proposed land use in the development plans under preparation. On the other hand, the director or his subordinates may defer the grant of permission where the change in the use of any land for any purpose other than as indicated in the existing land map is consistent with the proposed land use in the development plan under permission until the development plan is finalized, approved and published by the state government under Section 19 of the Adhiniyam. We are, thus, of the view that Section 16 (1) of the Adhiniyam does not vest absolute power in the director or his subordinate to refuse or grant permission for change in the use of any land or in development of land any purpose other than that as indicated in the existing land use map and that such power is controlled and is to be exercised in accordance with the development plan under permission and not otherwise"

उपरोक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका कमांक 3870/ 06 में पारित आदेश दिनांक 23.3.07 को यथावत रखा गया था तथा उक्त आदेश के विरुद्ध दायर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील कमांक 2163/09 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मान्य किया गया है।

अतः समस्त जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरण अग्रेषित करने/निराकरण के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप परीक्षण कर, तदनुसार कार्यवाही की जावे।

T.T.D.

(6)

जिला कार्यालयों में अधिनियम की धारा 16 अन्तर्गत प्राप्त होने पर, जिला कार्यालयों द्वारा प्रकरणों को अनावश्यक रुप से लंबित नही रखा जाय। ऐसे समस्त प्रकरणों को भोपाल, इन्दौर, जबलपुर तथा ग्वालियर के जिला कार्यालय, माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में समग्र रुप से परीक्षण कर, स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रकरण 30 दिनों में संचालनालय को प्रेषित करेंगे। शेष जिला कार्यालय ऐसे प्रकरणों का उपरोक्तानुसार ही समग्र रुप से परीक्षण कर, प्रकरण का निराकरण 30 दिनों में अपने स्तर से करना सुनिश्चित् करेंगें।

(के. सी. गुप्ता)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

पृ. क्रमांक 5087 /विधि/नग्रानि/एम–87 भोपाल, दिनांक 12/8/2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय———— को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

(के. सी. गुप्ता)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र भोपाल